न्यायालय राजस्व मंण्डल म0प्र0 ग्वालियर
समक्ष एम0के0सिंह सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 2078–एक/2014 विरूद्व आदेश दिनांक 04.04.14
पारित द्वारा कमिशनर भोपाल संभाग भोपाल–
प्रकरण कमांक 134/अपील/ 2012–13

गुलाबसिंह अहिरवार वल्द श्री बल्देवसिंह अहिरवार
उम्र–लगभग–43 वर्ष,पूर्व प0ह0न0 34
मुख्यालय रमपुरा कला पोस्ट आमखेड़ा सूखा,
तह0नटेरन,जि0 विदिशा वर्तमान निवासी साकेत नगर
बरेठ रोड़ वार्ड नं. 7 गंज बासोदा जिला विदिशा ——आवेदक

विरूद्व

1— म0प्र0 शासन द्वारा अ0वि0अ0राजस्व
तह.नटेरन, जिला–विदिशा
2— शाखा प्रबंधक,विदिशा–भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,
शाखा गुरोद,(सोमवारा) तह.नटेरन,जि.विदिशा ——अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता– श्री डी.डी. मेंघानी
अनावेदक क्र0 1 –अनुपस्थित
अनावेदक क्र0 2 की ओर से –शाखा प्रबन्धक विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

:: आदेश ::

(आज दिनांक 8-1-2016 को पारित)

यह निगरानी कमिश्नर भोपाल संभाग भोपाल के प्र0 क्र0 134/अपील/ 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 04.04.14 (जो कि कलेक्टर विदिशा के प्र0क्र0 15/अपील/ 12–13 में पारित आदेश दिनांक–26.02.13 एवं अ0वि0अ0 नटेरन के आदेश क्र0/1/विभागीय जांच/2007 दिंनाक–01.11.12 से उद्भूत है) के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक तहसील विदिशा जिला विदिशा में दिनांक 06.05.1992 पटवारी पद पर नियुक्त हुआ था और 1997 से प0ह0नं0 34 तहसील नटेरन जिला विदिशा के पद पर पदस्थ था। अ0वि0अ0 नटेरन ने आवेदक को दिनांक 07.02.07 को इस आधार निलंबित कर दिया था कि उसके द्वारा ग्राम बावचिया एवं रमपुराकला के खसरे में कृषकों के नाम फर्जी भूमि दर्ज की थी। उक्त फर्जी दस्तावेजो से कृषकों द्वारा बैंक से ट्रेक्टर के लिये ऋण प्राप्त कर लिया था। आवेदक को आरोप पत्र दिया गया कि,"उसने वर्ष 2004 में

ग्राम बावचिया एवं रमपुराकला के आरोप में उल्लेखित कृषको को फर्जी दस्तावेज एवं ऋण पुस्तिका बना कर दी गई जिसके आधार पर उनके द्वारा विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गुरोद से 56.05 लाख ऋण प्राप्त कर लिया है। आरोप पत्र में यह भी दर्शाया गया कि आवेदक मुख्यालय पर निवास नही करता, वसूली कार्य में कोई सहयोग नही देता, पटवारी मीटिंग में उपस्थित नही रहता एवं शासन द्वारा चाही गई जानकारी समय पर प्रस्तुत नही करता।'' प्रकरण में जांच के दौरान आवेदक द्वारा विभागीय जांच अधिकारी से आरोपों से संबधित सुसंगत अभिलेखों की प्रतिलिपियां प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिया गया था जो कि उसे नही दिया गया। तत्कालीन अ.वि.अ नटेरन के द्वारा दिनांक 12.09.08 को आवेदक को इस शर्त पर बहाल करते हुए तहसील की कानूनगो शाखा में पदस्थ किया कि,''पटवारी के विरूद्ध न्यायालय जे.एम.एफ.सी बासोदा में लंबित आपराधिक प्र0क0 21/07 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 406 आई.पी.सी में भविष्य में होने वाले निर्णय के प्रकाश में ही संबंधित पटवारी के प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सकेगी व अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। इसके साथ ही पटवारी के विरूद्ध लंबित विभागीय जॉच, निलम्बन अवधि का निराकरण, अन्य स्वत्वों का निराकरण तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही उक्त न्यायालय में लंबित प्रकरण में होने वाले निर्णय के परिप्रेक्ष्य में की जा सकेगी।''

3— आवेदक द्वारा विभागीय जांच के दौरान प्रस्तुत किये गये लिखित उत्तर एवं समक्ष में सुनवाई के उपरांत तत्कालीन अ0वि0अ नटेरन के द्वारा भी दिसंबर 2009 में यह आदेश पारित किया कि,'' मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा प्रकरण में दिनांक 12.09.09 पारित किया गया है प्रकरण में संलग्न है। इसमें संबंधित पटवारी के विरूद्ध लम्बित विभागीय जांच, निलम्बन अवधि का निराकरण, अन्य स्वत्वों का निराकरण, तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही माननीय दाण्डिक न्यायालय में लंबित प्रकरण में होने वाले निर्णय के परिप्रेक्ष्य में भविष्य में की जा सकेगी। उक्त आदेश अभी प्रभावशील है अतः प्रकरण यथावत रखा जाता है।'' आवेदक को तीन वर्ष के पश्चात् पुनःतत्कालीन अ0वि0अ तहसील नटेरन में दिनांक 19.10.12 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आहुत किया। उस समय आवेदक ने उनसे निवेदन किया कि, ''आवेदक एवं कृषकों के विरूद्ध कथित आरोपों के संबंध में न्यायालय जे0एम0 एफ0सी0 बासौदा में प्रकरण विचाराधीन है। इस संबंध में पूर्व अनुविभागीय अधिकारीगण द्वारा दिनांक 12.09.09 एवं दिसम्बर 2009 में यह आदेश पारित किया है कि,''आवेदक के विरूद्ध उक्त न्यायालय में आपराधिक प्रकरण में भविष्य में पारित आदेश के अनुसरण में ही विभागीय जांच का निराकरण किया जायेगा अतः उक्त आदेश के अनुसार विभागीय जांच की कार्यवाही यथावत रखने की कृपा करें।'' इसके साथ ही अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया कि,''उसे विभागीय जांच से संबंधित सभी सुसंगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाये जिनके संबंध में उसने पूर्व में आवेदन पत्र दिये हैं और निगरानीकर्ता को विभागीय जांच में बुलाये गये सभी साक्षीगण का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर दिया जाये जो कि निष्पक्ष जांच के लिए अनिवार्य है।''

4— आवेदक पर विभागीय जांच के दौरान निम्नलिखित दो आरोप अधिरोपित किये गयेः—

<u>आरोप क्र0—(1)</u> आवेदक द्वारा वर्ष 2004 में हल्के के ग्राम बवचिया, रमपुराकला के खसरे में दर्ज शासकीय भूमि एवं अन्य भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को बढ़ाकर फर्जी दस्तावेज खसरा, बी—1, अक्स, व डूब प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हैं एवं उक्त रकबे की फर्जी ऋण पुस्तिका जिस पर नामों को काटकर अन्य नाम लिखा गया है एवं तहसीलदार नटेरन के फर्जी हस्ताक्षर किये गये हैं। इन

फर्जी दस्तावेज के आधार पर कृषकों द्वारा विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गुरोद से 56.05 लाख का ऋण (ट्रेंक्टर, कृषि उपकरण, व फसल ऋण) प्राप्त कर लिया है।

<u>आरोप क्र0—(2)</u> आवेदक मुख्यालय पर निवास नहीं करता है, वसूली कार्य में कोई सहयोग नहीं करता है, समय समय पर आयोजित पटवारी मीटिंग में उपस्थित नहीं रहता है एवं शासन द्वारा चाही गयी जानकारी समय पर प्रस्तुत नहीं करता है।

5— आवेदक ने अनुशासनिक अधिकारी/अ0वि0अ0नटेरन को आरोप क्र.1 के संबंध में लिखित उत्तर प्रस्तुत किया कि उसके द्वारा कोई फर्जी अभिलेख तैयार नहीं किये गये थे। किसी शरारती तत्व द्वारा कथित फर्जी दस्तावेज आर0आर0बी0 शाखा गुरोद में प्रस्तुत कर अपनी स्वार्थ सिद्ध की है एवं कथित फर्जी दस्तावेजों पर उसने कोई हस्ताक्षर नहीं किये हैं अपितु किसी अन्य व्यक्ति ने उसके फर्जी हस्ताक्षर कर अभिलेख तैयार किये हैं और बैंक से ऋण लेकर लाभ प्राप्त किया है। उसके विरूद्ध आरोप क्र.1 में दिये तथ्य बेबुनियाद एवं असत्य हैं। आवेदक ने आरोप क्र. 2 के संबंध में यह लिखित उत्तर दिया था कि वह ग्राम मुख्यालय रमपुरा कला में स्थायी रूप से दौलत सिंह वल्द सत्तूमल के मकान में 50/— प्रतिमाह के किराये पर निवास करता रहा है, वह शासन द्वारा समय समय पर जानकारियां अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत करता रहा है और वसूली कार्य भी नियमित रूप से करता रहा है।

6— आवेदक के द्वारा उक्त आरोपों का लिखित जवाब प्राप्त होने पर अनुशासनिक अधिकारी/अ0वि0अ0 नटेरन ने आरोप क्र. 2 को सिद्ध नहीं पाया परन्तु उन्होंने आरोप क्र0 1 को सिद्ध मानते हुए आदेश क्र. क्यू/री.—2/विभागीय जांच/2089—2093 दिनांक 01 नवम्बर 2012 को आदेश पारित कर आवेदक को म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम—10(9) के अन्तर्गत सेवा से पदच्युत करने का दण्ड दिया गया है। आवेदक ने इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर विदिशा को अपील प्रस्तुत की थी कि उसे अ0वि0अ0नटेरन ने विभागीय जांच से संबंधित साक्ष्य सूची में उल्लेखित साक्षीगण एवं अन्य साक्षीगण का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर नहीं दिया था परन्तु उन्होंने उसकी अपील पर न्यायिक विचार न करते हुए उसकी अनुपस्थिति में दि—26.02.13 को उसकी अपील निरस्त कर अनुशासनिक अधिकारी/अ0वि0अ0 नटेरन के आदेश को यथावत रखा गया था। आवेदक ने कलेक्टर विदिशा के उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर कमिश्नर भोपाल में द्वितीय अपील प्रस्तुत की थी इस पर उनके द्वारा आवेदक की अनुपस्थिति में दिनांक 04.04.2014 को आदेश पारित किया कि,"अपीलार्थी की अपील बलहीन होने के कारण अमान्य की जाती है। उभय अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती आदेश स्थिर रखे जाते हैं। आवेदक ने कमिश्नर भोपाल के उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है।

7— आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी में म0प्र0शासन, द्वारा कलेक्टर विदिशा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार/विभागीय जांच अधिकारी तहसील नटेरन को भी पक्षकार बनाया गया था। उन्हें इस न्यायालय द्वारा सूचना पत्र प्रेषित किये गये थे परन्तु सूचना उपरान्त अनुपस्थित रहे अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। आवेदक ने शाखा प्रबंधक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा

गुरोद को भी पक्षकार बनाया था उन्होंने आवेदक की निगरानी पर अपना लिखित उत्तर प्रस्तुत किया है।

8— आवेदक के अभिभाषक ने निगरानी एवं उसके समर्थन में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि,"कमिश्नर भोपाल का निगरानीधीन आदेश इस निष्कर्ष पर आधारित है कि साक्ष्य सूची में अंकित स्वतंत्र साक्षी सर्वश्री रईस खॅा, रशीद खॅा, बाबू खॅा, इस्माइल खॅा, ने एक बात समान रूप से स्वीकार की है कि, आवेदक ने उनसे रिश्वत के रूप में राशि प्राप्त की थी तथा ट्रेक्टर दिलाने के लिये आश्वस्त किया था किन्तु किसी को भी न तो कोई ऋण बैंक से प्राप्त हुआ और न किसी प्रकार का कृषि उपकरण अथवा ट्रेक्टर मिला।"आवेदक पर अनुशासनिक अधिकारी/अ0वि0अ0 नटेरन के द्वारा रिश्वत लेने के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया गया था। कमिश्नर भोपाल का यह स्वयं का निष्कर्ष है कि कथित साक्षीगण को उक्त बैंक से ट्रेक्टर क्रय करने का कोई ऋण प्राप्त नहीं हुआ था तो अनुविभागीय नटेरन ने यह निष्कर्ष कैसे निकाला कि उक्त साक्षीगण को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऋण प्राप्त हुआ था।

9— आवेदक के अभिभाषक ने निगरानी एवं तर्क में यह भी बताया कि,"आवेदक को अभियोजन साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण करने का अवसर ही नहीं दिया गया था। इस कारण ऐसे साक्षीगण के साक्ष्य को साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं माना जा सकता। अ0वि0अ0 नटेरन के द्वारा कथित आरोप पत्रों के साथ उन दस्तावेजों की सूची ही संलग्न नहीं की थी जिसके आधार पर आरोप पत्र बनाये गये थे। आवेदक को कथित दस्तावेजों की सूची भी उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। आवेदक को अपनी निर्दोशिता भी प्रमाणित करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। इस प्रकार अ0वि0अ0 नटेरन की प्रारंभिक कार्यवाही ही दूषित होने के कारण उसके आधार पर बाद में की गयी पूरी विभागीय जांच और उसके आधार पर पारित अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त योग्य था जिसे यथावत रखकर प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने विधि एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध आदेश पारित किये हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक को बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालयों ने इस विधिक बिन्दु पर भी विचार नहीं किया कि संबंधित कृषकों द्वारा राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी कर बैंक से जो ऋण प्राप्त किया गया था उस पर आवेदक के हस्ताक्षर नहीं थे अपितु किसी अन्य व्यक्ति ने आवेदक के फर्जी हस्ताक्षर बनाये थे। इस संबंध में जे0एम0एफ0सी0 बासौदा में बैंक की प्रथम सूचना प्रतिवेदन पर संबंधित कृषकों को ही आरोपी बनाकर चालान प्रस्तुत किया गया था। बैंक के द्वारा आवेदक के विरूद्ध कोई प्रथम सूचना प्रतिवेदन संबंधित थाने में दर्ज नहीं करायी गयी थी। इससे भी स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा कथित राजस्व अभिलेखों में की गयी हेराफेरी में वह सम्मिलित नहीं था। अनुविभागीय अधिकारी नटेरन ने आवेदक के विरूद्ध थाने में इस कारण प्रकरण दर्ज कराया था कि वह उन ग्रामों का पटवारी था जिनके अभिलेखों में हेरा फेरी कर कथित कृषकों द्वारा फर्जी ऋण प्राप्त किया गया था। आवेदक के विरूद्ध जे0एम0.सी0 बासौदा में आपराधिक प्रकरण क्र0 221/07 अन्तर्गत धारा—420, 487, 488, एवं 406, आई0पी0सी0 विचाराधीन है परन्तु पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में चालान प्रस्तुत करने के उपरान्त भी आदिनांक तक कोई आरोप तय नहीं किये जा सके हैं। आवेदक के विरूद्ध दांडित प्रकरण न्यायिक निर्णयन हेतु विचाराधीन है तो आवेदक को दोषी मानकर सेवा से पदच्युत करना विधि एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध है।

10— आवेदक के अभिभाषक ने अपने तर्क में यह भी बताया है कि अ0वि0अ0 नटेरन ने विभागीय जांच प्रकरण से संबंधित उन मूल द्रस्तावेजों का परिशीलन ही नहीं किया था जिसके संबंध में यह अवधारणा की गयी थी कि आवेदक ने फर्जी दस्तावेज तैयार किये हैं। आवेदक ने अपीलीय न्यायालय में उन राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां भी प्रस्तुत की थी जिनसे स्वतः स्पष्ट है कि आवेदक ने राजस्व अभिलेखों में कोई हेराफेरी नहीं की थी। अनुशासनिक अधिकारी/अ0वि0अ0 नटेरन नें दिनांक 1 नवम्बर 2012 को आवेदक को पदच्युत करने के संबंध में आदेश पारित करने से पूर्व उनके पूर्व अधिकारीगण द्वारा दिनांक 12.09.2009 एवं दिसम्बर 2009 के आदेशों का परिशीलन नहीं किया। जिसमें उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया था कि,''पटवारी के विरूद्ध लंबित विभागीय जांच, निलम्बन अवधि का निराकरण, स्वत्वों का निराकरण तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही माननीय दांडिक न्यायालय में लंबित प्रकरण में होने वाले निर्णय के परिप्रेक्ष्य में भविष्य में की जा सकेगी।'' इन आदेशों के विपरीत दिनांसक 01 नवम्बर 2012 को जब अनुशासनिक अधिकारी ने आदेश पारित किया तो उनके पूर्ववर्ती अधिकारीगण के आदेश को पुनर्विलोकन करने की अनुमति प्राप्त नहीं की थी इस परिप्रेक्ष्य में भी उनका आदेश्स निरस्त योग्य था, जिसे यथावत रखकर अपीलीय न्यायालयों ने अवैध आदेश पारित किया है।

11— आवेदक के अभिभाषक ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि,''अनुशासनिक अधिकारी/अ0वि0अ0 नटेरन या विभागीय जांच अधिकारी ने संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक को साक्षी की हैसियत से आहूत ही नहीं किया गया और न ही आवेदक को उसके प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया गया जिसकी कथित शिकायत पर आवेदक के विरूद्ध विभागीय जांच प्रारंभ की गई थी। अनुशसनिक अधिकारी ने उनके साक्ष्य लिये बिना कल्पना एवं संभावना के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हुए निगरानीकर्ता को परच्युत करने का दण्ड दिया है कि बैंक में रखी लोकधन की राशि को आवेदक के कृत्य के कारण नुकसान पहुँचा है। वास्तव में बैंक मैनेजर ने अपने बैंक के अमले को बचाने के दुराशय से आवेदक को बली का बकरा बनाकर राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी का आरोप लगाया था। बैंक ऋण देते समय अपने अभिभाषक से सर्च रिपोर्ट प्राप्त करती है एंव पूर्ण जांच के उपरान्त ही ऋण प्रदान करती है। अगर बैंक के अमले एवं उनके अभिभाषक ने कथित कृषकों को कथित ऋण की राशि उनसे दुरभि संधि कर प्रदाय कर दी थी तो उसके लिये आवेदक को लांछित नहीं किया जा सकता।'' कथित बैंक ने अधीनस्थ न्यायालय में संचालक मण्डल की बैठक दिनारक 05.03.2008 का विवरण प्रस्तुत किया है जिसमें उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि,''कथित फर्जी ऋण प्राप्त कर ट्रेक्टर प्राप्त करने वाले कृषकों के ट्रेक्टर जप्त कर ट्रेक्टर निर्माता कम्पनी को सुपुर्द किये गये और ऋण राशि 25.03 लाख प्राप्त हुए हैं। इस बैठक की कार्यवाही विवरण में यह भी अंकित है कि तत्कालीन शाखा प्रबंधक को निलंबित किया जा चुका है एव ऋणियों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही हेतु प्रकरण दर्ज कराये गये हैं जिन्होंने फर्जी ऋण प्राप्त किया था।'' इससे स्पष्ट है कि आवेदक के किसी आचरण से से कथित बैंक को कोई वित्तीय नुकसान नहीं पहुँचा है।

12— आवेदक के अभिभाषक ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि,''आवेदक को उस कृत्य के लिये पदच्युत किया गया है जो उसके द्वारा किया ही नहीं गया है। आवेदक पदच्युत होने के पूर्व 20 साल का सेवाकाल पूर्ण कर चुका था और इन बीस वर्षो में उसके विरूद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं हुई थी क्योंकि वह पटवारी पद पर नियुक्त होकर निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा था। आवेदक पेंशन योग्य सेवा पूर्ण कर चुका है। उसे पदच्युत

कर उसके परिवार के जीवन निर्वाह का सहारा भी छीन लिया गया है। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि केवल भ्रष्ट आचरण के प्रमाणिक मामलों में ही यह कठोरतम दण्ड दिया जाये। आवेदक के विरूद्ध दांडिक न्यायालय में जुलाई 2007 से प्रकरण विचाराधीन है परन्तु उस पर आरोप ही निर्धारित नहीं हुए हैं। आवेदक उक्त दांडित प्रकरण में अभी सिद्ध दोष नहीं ठहराया गया है इस प्रकार उसके विरूद्ध भ्रष्ट आचरण का प्रमाणित मामला ही नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में आवेदक को शासन के दिशा निर्देश व संविधान के अनुच्छेद 24व 21 के विपरीत पदच्युत के दंड से दंडित किया जाना पूर्णतः अविवेकपूर्ण तथा विद्वेषपूर्ण भी है। न्याय शास्त्र का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि,''प्रमाणिक साक्ष्य के अभाव में 100 अपराधी भले ही छूट जायें परन्तु एक भी निरअपराध व्यक्ति को संदेह के आधार पर सजा नहीं मिलना चाहिए। आवेदक को अपुष्ट, अविश्वसनीय साक्ष्य एवं संभावनाओं पर आधारित आरोपों पर सेवा से पदच्युत किया जाकर कठोरतम दण्ड से दंडित किया गया है जो सी0सी0ए0 नियम–14 के विरूद्ध विधि के विपरीत, मनमाना एवं दुर्भावना पर आधारित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

आवेदक के अभिभाषक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी, अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का परिशीलन करने एवं अनावेदक क्र0 2 शाखा प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तर का परिशीलन करने के उपरान्त यह स्पष्ट है कि विभागीय जांच अधिकारी के द्वारा आवेदक को विभागीय जांच से संबंधित अभिलेख की प्रतिलिपियां उपलब्ध नहीं करायी गयी, अभियोजन साक्षीगण का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया, शाखा प्रबंधक विदिशा,भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गुरोद तहसील नटेरन जिला विदिशा को साक्ष्य हेतु आहूत नहीं किया गया और उसके प्रतिपरीक्षण का आवेदक को अवसर ही प्रदान नहीं किया गया जिसकी कथित शिकायत पर आवेदक के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गयी थी। विभागीय जांच अधिकारी एवं अनुशसनिक अधिकारी/अ0वि0अ0नटेरन के द्वारा आवेदक के कथित फर्जी दस्तावेजों पर कथित फर्जी हस्ताक्षरों के सत्यापन के संबंध में कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गयी और संभावना के आधार पर यह मान्य कर लिया गया कि कथित अभिलेखों पर आवेदक के ही हस्ताक्षर हैं जिनके आधार पर कृषकों को बैंक से ऋण प्राप्त हुआ है। विभागीय जांच अधिकारी एवं अनुशासनिक अधिकारी/अ0वि0अ0 नटेरन के द्वारा विभागीय जांच से संबंधित वैधानिक प्रावधानों का पालन किये बिना सतही तौर पर विभागीय जांच कर आवेदक को कठोरतम दण्ड से दंडित किया गया है। इस संबंध में 2008(आर) सुप्रीम कोर्ट केसेस 236 उत्तरांचल राज्य एवं अन्य विरूद्ध खरकसिंह में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्याय सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया हैः–

"Department enquiry –Natural justice- enquiry, held, should not be an empty formality- Departmental evidence should be led in the first instance and the presence of charged employee-These requirement not fulfilled in the present case-Enquiry therefore held bad.''

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय सिद्धान्त के प्रकाश में आवेदक के विरूद्ध की गयी विभागीय जांच अवैधानिक होने से इसी आधार पर निरस्त योग्य है।

म0प्र0शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के पत्र क्र. एफ 7–35/97/आ.अ./1 दिनांक 12.12.97 द्वारा इस आशय के निर्देश जारी किये गये हैं कि,

"अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों में उदारता पूर्वक एवं सद्भावना पूर्वक कार्यवाही की जाना अपेक्षित है। सेवा के मामलों में इन वर्गो के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा गलतियां किये जाने पर सर्वप्रथम समझाईश दी जाकर उनके कार्य पद्धति में सुधार लाने के प्रयास किये जायें तत्पश्चात भी यदि सुधार नहीं होता है तो उन्हें चेतावनी दी जाये। उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणियों का कोई ठोस आधार हो तो पूर्ण विचार किया जाये।" शासन द्वारा जारी उपरोक्त दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में यह न्यायोचित था कि आवेदक द्वारा यदि कोई त्रुटि भी पायी गयी थी तो उसे समझाईश दी जाती और यदि वह उसके उपरान्त भी त्रुटियों की पुनरावृत्ति करता तो उसे चेतावनी दी जाती परन्तु उसे दीर्घ शास्ति के दंड से दंडित किया जाकर सेवा से पदच्युत की जाने की कार्यवाही पूर्णतः अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गयी है। यह भी उल्लेखनीय है कि उसे दांडित न्यायालय द्वारा किसी भी अपराध का सिद्ध दोष नहीं ठहराया गया है। अतः अनुविभागीय अधिकारी नटेरन द्वारा पारित आदेश दिनांक–01.11.2012 विधि अनुकूल एवं न्यायसंगत नहीं होने के कारण निरस्त किया जाता है। कलेक्टर विदशा एवं कमिश्नर भोपाल के द्वारा अपने अपीलीय आदेशों में अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक–01.11.2012 की पुष्टि करने में त्रुटि की गयी है अतः उनके द्वारा पारित आदेश भी निरस्त किये जाते हैं।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी/अनुशासनिक अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिंनाक 01.11.2012 एवं कलेक्टर विदिशा एवं कमिश्नर भोपाल के अपीलीय आदेश निरस्त करते हुए आवेदक को इस चेतावनी के साथ पटवारी पद पर बहाल किया जाता है कि भविष्य में पटवारी पद के कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से करें। निगरानी स्वीकार की जाती है।

आदेश खुले न्यायालय में एवं उद्घोषित।

सदस्य